



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित  
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008  
3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> Floor, Rajendra Bhawan  
Rajendra Place, New Delhi – 110008  
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No. 111-ए-33/16/2/MACP/ACP/PHARM./2021 प्रशा.2

दिनांक: 12 / 02 /2024

**कार्यालय आदेश संख्या- 52 वर्ष 2024 प्रशा- 2**

दिनांक 29-01-2024 को आयोजित समीक्षा/देय विभागीय छान-बीन समिति ने मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018 चि. VI, दिनांक 20/02/2020 में दिए जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार 01/01/2006 से निम्नलिखित फार्मासिस्टों को एमएसीपी के मामले की पुन जांच की है। है। मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018.चि.VI, दिनांक 09.10.2019 के अनुसार "एनएफजी के तहत 2 साल पूरे होने के बाद फार्मासिस्ट को 4200 रुपये का ग्रेड वेतन एमएसीपी के तहत उन्नयन के रूप में गिना जाना होगा। तत्पश्चात दूसरे एवं तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ पात्र भेषजों को 4600/- रुपये और 4800/- रुपये के ग्रेड में उनकी 20 और 30 साल की निरंतर नियमित सेवा पूरी करने पर या एकल ग्रेड वेतन में 10 साल के ठहराव, जो भी पहले हो, पर दिया जाएगा।" डीओपीटी ने अपने पत्र संख्या- 35014/1/2014-स्था.डी, दिनांक 10.06.2015 के माध्यम से यह भी कहा है कि ग्रेड वेतन 2800 रुपये में नियमित सेवा के 2 साल बाद ग्रेड वेतन 4200 रुपये का अनुदान पहली एमएसीपी के रूप में माना जाना चाहिए। उपर्युक्त डीओपीटी पत्र का संज्ञान लेते हुए क.रा.बी.निगम (मुख्यालय) ने अपने पत्र संख्या-जेड-11/15/1/2012-चि.VI, दिनांक 11 जुलाई, 2017 के माध्यम से फार्मासिस्टों को एमएसीपी योजना के तहत ग्रेड वेतन 5400 रुपये का अनुदान पहले ही रोक दिया है।

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018 चि.VI, दिनांक 20/02/2020 के अनुसार दिशानिर्देशों / निर्देशों और दिनांक 29.01.2024 को आयोजित समीक्षा/ देय विभागीय छान-बीन समिति की सिफारिश के आधार पर, क्षेत्रीय निदेशक (राज.) ने निम्नलिखित फार्मासिस्टों के संबंध में उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से एवं वेतन स्तर पर एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को मंजूरी दी है: -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री / सुश्री )	पदनाम	प्रारंभिक संवर्ग नाम के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि	पुरानी एसीपी योजना में अर्जित वित्तीय उन्नयन (FU) की तिथि में संशोधन का विवरण।		एमएसीपी योजना के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय उन्नयन (FU) के लिए पात्रता की तिथि ।			वर्तमान तैनाती स्थान
				12 वर्ष	24 वर्ष	1 <sup>st</sup> MACP	2 <sup>nd</sup> MACP	3 <sup>rd</sup> MACP	
1	Munshi Ram (171164)	Ex-Pharmacist	28.11.2017 (GP-2800)	.....	-----	28.11.2019 (GP-4200)	.....	.....	ESI Hospital Manesar
2	Mukesh Kumar (171817)	Ex-Pharmacist	18.12.2017 (GP-2800)	-----	-----	18.12.2019 (GP-4200)	.....	-----	ESI Hospital Manesar
3	Naresh Kumar (179833)	Pharmacist	22.10.2019 (GP-2800)	-----	-----	22.10.2021 (GP-4200)	.....	-----	ESI Hospital Manesar

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री / सुश्री)	पदनाम	प्रारंभिक संवर्ग नाम के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि	पुरानी एसीपी योजना में अर्जित वित्तीय उन्नयन (FU) की तिथि में संशोधन का विवरण।		एमएसीपी योजना के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय उन्नयन (FU) के लिए पात्रता की तिथि ।			वर्तमान तैनाती स्थान
				12 वर्ष	24 वर्ष	1 <sup>st</sup> MACP	2 <sup>nd</sup> MACP	3 <sup>rd</sup> MACP	
4	Bharti Rajodiya (181574)	Pharmacist	24.01.2020 (GP-2800)	----- ---	----- --	24.01.2022 (GP-4200)	.....	-----	ESI Dispensary Kalkaji

(राजशेखर सिंह)

उप-निदेशक (प्रशासन-2)

प्रतिलिपि :

1. संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी द्वारा Website पर उपलब्ध आदेश की प्रतिलिपि द्वारा।
2. संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल (स्था.-2), निदेशक (चि) दिल्ली।
3. निदेशक, निदेशालय (चि) दिल्ली ।
4. चिकित्सक अधीक्षक, क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल मानेसर ।
5. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.नि औषधालय कालकाजी, दिल्ली ।
6. चिकित्सक अधीक्षक, क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल, बसईदारापुर ।
7. ओ.एस.डी. आई.टी सेल(चि) / आईसीटी दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने के आग्रह के साथ ।
8. गार्ड फाइल।